

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1409 /2020 दिनांक 29.07.2020

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II को दिनांक 04.08.2020 से 07.08.2020 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.08.2020 से 03.08.2020 एवं 08.08.2020 से 09.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ( साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से  
  
29.7.2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/69/2008/ 3068

दिनांक 29.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 516 दिनांक 27.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
4. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
5. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II

  
सहायक रजिस्ट्रार